



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.एच.-अ.-08022021-225006
CG-CH-E-08022021-225006

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2021/माघ 19, 1942

No. 59]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2021/MAGHA 19, 1942

पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़

अधिसूचना

चंडीगढ़, 8 फरवरी, 2021

सं. F.2-6/2015-U.11 दिनांक 08.01.2021.—पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट, 1947 (1947 के 7) के सेक्शन 31 की शक्तियों के प्रयोग में प्रदत्त है कि सरकार की स्वीकृति के द्वारा सीनेट ने निम्नलिखित नियमों को संशोधित किया है जो 1 मार्च 1986 के आधिकारिक गजट में प्रकाशित 'विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को अवकाश देने वाले परिशोधित नियमों में संशोधन करता है। जैसे कि-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को विश्वविद्यालय के अध्यापकों को अवकाश प्रदान कराने वाला संशोधित नियम 2021 कहा जा सकता है।

(2) ये आधिकारिक गजट में अपने प्रकाशन की तिथि से ही लागू होंगे।

2. विश्वविद्यालय के अध्यापकों को अवकाश प्रदान कराने वाले संशोधित नियमों में 11 वें नियम के खंड (डी) के लिए उपखंड (ii) में यथा प्रतिस्थापित किया जाएगा -

“(ii) एक अध्यापक के क्रेडिट पर अर्जित अवकाश तीन सौ दिनों से अधिक संचित नहीं होगा और अर्जित अवकाश की अधिकतम अवधि जो एक समय में स्वीकृत हो सकती है, साठ दिनों से अधिक नहीं होगी- बशर्ते कि साठ दिनों से अधिक की छुट्टी अर्जित की जाए, परन्तु उच्च अध्ययन, या प्रशिक्षण के मामले में स्वीकृति दी जा

सकती है, या चिकित्सकीय प्रमाण-पत्र के साथ या जब पूरा अवकाश या उसका एक भाग भारत के बाहर व्यतीत किया जाता है।”

विक्रम नय्यर, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-III/4/असा./493/2020-21]

नोट: प्रमुख नियम, यथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के अवकाश का विनियमन करने वाले संशोधित नियम भारत के गजट में भाग III सेक्शन 4 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे। देखें संख्या-1-86/G.R दिनांक 1 मार्च 1986।

PANJAB UNIVERSITY, CHANDIGARH NOTIFICATION

Chandigarh, the 8th February, 2021

No. F.2-6/2015-U.II dated 08.01.2021.—In exercise of powers conferred by section 31 of the Panjab University Act, 1947 (7 of 1947) the Senate with the sanction of the Government hereby makes the following regulations further to amend the ‘Revised Regulations Governing Leave to Teachers of the University’ published in the Official Gazette, dated the 1st March, 1986, namely:-

1. **Short title and Commencement.**—(1) These regulations may be called the ‘Revised Regulations Governing Leave to Teachers of the University’ (Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the ‘Revised Regulations Governing Leave to Teachers of the University’, in regulation 11, in clause (D), for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(ii) Earned leave at the credit of a teacher shall not accumulate beyond three hundred days and the maximum period of earned leave that may be sanctioned at a time shall not exceed sixty days:

Provided that Earned leave exceeding sixty days may, however, be sanctioned in the case of higher study, or training, or leave with medical certificate or when the entire leave, or a portion thereof, is spent outside India.”

VIKRAM NAYYAR, Registrar

[ADVT.-III/4/Ext./493/2020-21]

NOTE: The Principal regulations, namely, ‘Revised Regulations Governing Leave to Teachers of the University’ were published in the Gazette of India under Part III, Section 4 vide No.1-86/G.R. dated the 1st March, 1986.

अधिसूचना

चंडीगढ़, 8 फरवरी, 2021

सं. F.2-6/2015-U.II दिनांक 08.01.2021.—पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट, 1947 (1947 के 7) के सेक्शन 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार की स्वीकृति के साथ सीनेट द्वारा निम्नलिखित नियमों को आगे बढ़ाता है, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के (पेंशन) के नियमों 1991 जैसे-

1. **लघु शीर्षक और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों को पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी (पेंशन) संशोधन नियम 2021 कहा जा सकता है।

(2) ये आधिकारिक गजट में अपने प्रकाशन की तिथि से ही लागू होंगे।

2. पंजाब विश्वविद्यालय कर्मचारी (पेंशन) नियम, 1991 में नियम 4.3 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा-

“4.3 मामले में एक कर्मचारी जिसने दस वर्ष (twenty half years) या इससे अधिक योग्य सेवा का प्रतिपादन किया है। पेंशनदेय का परिकलन (गणना) पंजाब सरकार के पेंशन नियमों के अंतर्गत पंजाब लोक सेवा आयोग नियम खण्ड II, समयानुसार संशोधित नियम के अनुसार किया जाएगा।”

विक्रम नय्यर, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-III/4/असा./493/2020-21]

नोट: प्रमुख नियम, भारत गजट के अंतर्गत भाग III सेक्शन 4 देखें अधिसूचना संख्या-2/93 G.R में प्रकाशित किया गया था। दिनांक 2 अक्टूबर 1993 और अंततः संशोधित अधिसूचना देखें संख्या-1/2006/G.R दिनांक 23 फरवरी 2006।

NOTIFICATION

Chandigarh, the 8th February, 2021

No. F.2-6/2015-U.II dated 08.01.2021.—In exercise of powers conferred by section 31 of the Panjab University Act, 1947 (7 of 1947) the Senate with the sanction of the Government hereby makes the following regulations further to amend the Panjab University Employees (Pension) Regulations, 1991, namely:-

1. **Short title and Commencement.**—(1) These regulations may be called the Panjab University Employees (Pension) Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Panjab University Employees (Pension) Regulations, 1991, for regulation 4.3, the following regulation shall be substituted, namely:-

“4.3. In case an employee who has rendered ten years (twenty half years) or more of the qualifying service, the pension payable shall be calculated as per the pension rules of the Punjab Government as contained in the Punjab Civil Services Rules Volume II, as amended from time to time.”

VIKRAM NAYYAR, Registrar

[ADVT.-III/4/Exty./493/2020-21]

NOTE: The Principal regulations were published in the Gazette of India under Part III, Section 4 *vide* notification No. 2/93 G.R. dated the 2nd October, 1993 and lastly amended *vide* notification No.1/2006/G.R. dated the 23rd February, 2006.